छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-09

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 05, के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती ममता चन्द्राकर, अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

(2) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन,

(3) श्री रविन्द्र चौबे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, तथा

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020,

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर कल विधानसभा भवन का घेराव-प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस संबंध में सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, डमरूधर पुजारी, डॉ. रमन सिंह,

सदस्य एवं श्री नारायण प्रसाद चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किसानों की समस्या के निराकरण हेतु उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल में आप सबके द्वारा उठाये गये विषयों को सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन व विधानसभा घेराव पर पुलिस प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्यवाही संबंधी श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया । कल इस विषय पर गृहमंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । प्रस्ताव में इसके अलावा अन्य विषय भी समाहित हुए हैं, इसलिए विचारोपरांत मैंने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.18 बजे स्थगित की जाकर 12.28 बजे, समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, सौरभ सिंह, एवं अन्य सदस्यों ने पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य ने महासमुंद जिले के धान खरीदी केन्द्र, गौरटेक में फर्जी तौल पत्रक बनाकर अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य ने नगरपालिका परिषद बेमेतरा में जल प्रदाय आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री बघेल लखेश्वर

(3) श्री चंदन कश्यप

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धरित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय विधेयक क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 10 सन् 2021)	श्री सत्यनारायण शर्मा	1 घंटा
अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक- 03)	श्री अजय चन्द्राकर	20 मिनट
(क्रमांक- 05)	श्री धर्मजीत सिंह	20 मिनट
(क्रमांक- 08)	श्री धरमलाल कौशिक	20 मिनट
(क्रमांक- 12)	श्री शिवरतन शर्मा	15 मिनट
(क्रमांक- 13)	श्री सत्यनारायण शर्मा	15 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नारायण चंदेल

(2) श्री धरमलाल कौशिक

(3) श्रीमती छन्नी चंदू साहू

(4) श्रीमती ममता चन्द्राकर

9. वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग **संख्या**-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग **संख्या**02-, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**06-, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**60-, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**12-, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**25-, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या**32-, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग **संख्या** 71- एवं विमानन विभाग से संबंधित मांग **संख्या**65-, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-2** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, **मांग संख्या-6** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, **मांग संख्या-60** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-12** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-25** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-32** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-71** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-65** पर सर्वश्री नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा, शैलेष पाण्डेय, धरमलाल कौशिक,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रामकुमार यादव, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, गुलाब कमरो, रजनीश कुमार सिंह,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची के पद क्रम-6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री लालजीत सिंह राठिया, डॉ.प्रीतम राम, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा